अध्याय 4
पूर्ति की प्रकृति का अवधारण

धारा 7 : अंतरराज्यिक पूर्ति

(1) धारा 10 के उपबंधों के अध्यधीन, जहां पूर्तिकार का अवस्थान और पूर्ति का स्थान–

(क) दो भिन्न–भिन्न राज्यों में है;

(ख) दो भिन्न–भिन्न संघ राज्यक्षेत्रों में है; या

(ग) एक राज्य में और एक संघ राज्यक्षेत्र में है;

वहां माल की पूर्ति को अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में माल की पूर्ति के रूप में समझा जाएगा।

(2) भारत के राज्यक्षेत्र में आयातित माल की पूर्ति को, जब तक वह भारत की सीमाशुल्क सरहद को पार करता है, अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में माल की पूर्ति होना समझा जाएगा।

(3) धारा 12 के उपबन्धों के अध्यधीन, जहां पूर्तिकार का अवस्थान और पूर्ति का स्थान–

(क) दो भिन्न–भिन्न राज्यों में है;

(ख) दो भिन्न–भिन्न संघ राज्यक्षेत्रों में है; या

(ग) एक राज्य में और एक संघ राज्यक्षेत्र में है;

वहां सेवाओं की पूर्ति को अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में सेवाओं की पूर्ति के रूप में समझा जाएगा।

(4) भारत के राज्यक्षेत्र में आयातित सेवाओं की पूर्ति को अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्यि के अनुक्रम में सेवाओं की पूर्ति होना समझा जाएगा।

(5) माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति को–

(क) जब पूर्तिकार भारत में अवस्थित है और पूर्ति का स्थान भारत के बाहर है;

(ख) किसी विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता या किसी विशेष आर्थिक जोन इकाई को या उसके द्वारा है, या

(ग) कराधेय राज्यक्षेत्र में है, जो कोई *अंतरराज्यीय पूर्ति नहीं है और इस धारा में अन्यत्र समाविष्ट नहीं है,

अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के रूप में समझा जाएगा।

---

* राजपत्र में "अंतरराज्यिक" छपा है।